प्रपत्र–2

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय भोजपुर (आरा)

पत्रांक –BEP/SSA-RTE/PVT School/ALX-1672/2011-12/-1262 दिनांक– 3/10/2019

सेवा में,

Rec. Code-BHOJ0092/2013-14

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,

Maa Maitarni Yogini C.C. School Gundi, Gundi Barahara Bhojpur, BARHARA.

विषय :–बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का **नवीनीकरण** प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन एवं प्राप्त घोषणा व दिनांक–27.09.2019 को निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति भोजपुर की सम्पन्न हुई बैठक के आलोक में आपके विद्यालय–Maa Maitarni Yogini C.C. School Gundi, Gundi Barahara Bhojpur, BARHARA को कक्षा **I** से **V/VIII** तक संचालन हेतु पुर्व के औपबंधिक प्रस्वीकृति का नवीनीकरण, प्रस्वीकृति अवधी पुर्ण हाने की तिथि से सत्र–2022–23 तक की अवधी के लिए प्रदान की जाती है–

प्रदत्त प्रस्वीकृति का नवीनीकरण निम्न शर्त्तों के अनुपालन के अधीन होगीः–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा क लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे, उसके मांता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन में उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन का विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगेः–

(क) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा मे रोककर नहीं रखा जाएगा और न हीं किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(ख) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(ग) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(ङ) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(च) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान मे कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूंतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यून्तम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

(छ) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगें।

P.T.O

प्रबंधक
श्री मैत्रायिणी योगिनी सेकेण्डरी स्कूल
गुण्डी भोजपुर (आरा) बिहार

Principal
Maa Maitrayini Yogini Secondary School
Bhojpur (Ara) Bihar

(ज) शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण –गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा।

11 कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12 विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13 विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय मे लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14 विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15 लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा ओर निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यालय को भेजी जाएगी।

16 आपके विद्यालय को पुर्व में आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या–**BHOJ0092/2013-14** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार
का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाए।

17 निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा समय–समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी ओर राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18 यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19 विद्यालय भवन/आपदा सुरक्षा , निःशक्त बच्चों हेतु बाधामुक्त व्यवस्था ,रसोईघर एवं बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) में शेष निर्धारित मापदंडों को प्रस्वीकृति के एक वर्ष के अन्दर पुरा करेगा एवं संसूचित करेगा।

20 अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

21 किसी भी समय संशय/अस्पष्टता/भ्रम की स्थिति में निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति का निर्णय अंतिम होगा जो विद्यालय को मान्य होगा।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान–सह–सचिव
निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति भोजपुर।

District Programme Officer
E.E.& SSA Bhojpur (Ara)

घोषणा पत्र

वास्ते निजी विद्यालय का नाम– माँ मैत्रायिणी योगिनी सेकेण्डरी स्कूल

पता– ग्रा० + पो० - गुन्डी, प्रखण्ड - बड़हरा, जि० - भोजपुर (आरा)

(01) यह कि यह विद्यालय द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 एवं संगत नियमावली – "बिहार राज्य बच्चों के मुफत् एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली–2011" एवं प्रस्वीकृति/नवीनीकरण पत्र में उद्धृत निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(02) यह कि विद्यालय में निर्धारित अग्निशमन यंत्र, विद्युत सुरक्षा आदि की व्यवस्था/पुस्तकालय/विशेष बच्चों के रैंप/सुरक्षित व आवश्यकतानुसार समुचित वर्ग कक्ष विकास/प्रशिक्षित शिक्षक एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानक एवं मानदंड के अनुसार सभी सुविद्याएँ ससमय पुरा कर लिया जाएगा।

(03) यह कि यह विद्यालय संबंधित स्वंय सेवी संस्था/ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है, जिसका अभिलेख विद्यालय में सुरक्षित है।

(04) यह कि यह विद्यालय की भुमी गैरविवादित एवं विद्यालय संचालन के लिए लीज/किराया/विद्यालय के नाम है जो 03 वर्षों की अवधी या उससे आगे की अवधी तक के लिए है।

(05) यह कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत वर्ग –01 में निर्धारित सीटों के 25 प्रतिशत सीट, अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होगा। ऐसे बच्चों को ससमय नियमानुकूल निःशुल्क नामांकन एवं कक्षा–08 तक शिक्षण प्रदान किया जाएगा।

परिभाषा–(अ) अलाभकारी (NON BENIFICIARY- NB)&SC/ST/BC/EBC/Min समुदाय के बच्चे जिनके माता पिता की वार्षिक आय 100000 एक लाख तक हो।

(ब)कमजोर वर्ग(WEAKER SECTION-WS)सभी समुदाय के बच्चे जिनके माता पिता की आय 200000दो लाख से कम हो।

(06) विद्यालय साईन–बोर्ड में "शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत वर्ग –01 में 25 प्रतिशत सीट पर विद्यालय द्वारा अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नि;शुल्क नामांकन" का अंकन कर लिया जाएगा। साथ हीं विद्यालय के सभी दस्तावेजों में विद्यालय प्रस्वीकृति कोड एवं वर्ष अंकित कर दिया जाएगा।

(07) नामांकन–

(क) नामांकन हेतु विद्यालय द्वारा ससमय सूचना प्रदर्शन एवं प्रचार–प्रसार एवं जिला/प्रखंड को सूचना दिया जाएगा।

(ख) विद्यालय के द्वारा समान्य शुन्य रसिद् पर नामांकन/पंजियंन आवेदन वितरणकिया जाएगा।

(ग) विद्यालय में वर्ग–01 में उपलब्ध 25%सीटों के समतुल्य अथवा इससे कम आवेदन होने पर सीधा नामांकन/अथवा अधिक आवेदन होने पर लॉटरी के माध्यम से नामांकन। इसकी पुर्व सूचना जिला/ प्रखंड को सूचना दिया जाएगा।

(घ) अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का विद्यालय में समान्य प्रवेश पंजी में समान्य शुन्य राशि का रसिद के साथ नामांकन। कभी भी बच्चें से कोई शूल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चों के साथ कोई भेद–भाव नहीं किया जाएगा। समान्य बच्चों के तरह इन बच्चों को विद्यालय के सभी अभिलेखों/कक्षों में/प्रदर्शन में शामील किये जाएगें।

(ड़) किसी भी स्थिति में किसी दस्तावेज नहीं होनें की स्थिति में नामांकन रोका नहीं जाएगा। नामांकन हेतु कोई स्कीनिंग प्रकिया (यथा टेस्ट, साक्षात्कार आदि) अपनाई नही जाएगी अन्यथा इसे बच्चों के अधिकार का उल्लघंन माना जाएगा। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन जिम्मेवार होगें।

(08) सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय के नाम से अलग बैंक खाता नेशनलाईज बैंक में खोला जाएगा एवं इस मद का अलग कैशबुक होगा जिसका प्रतिवर्ष विद्यालय वित्तीय ऑडिट कराया जाएगा।

(09) विद्यालय द्वारा कक्षा/पाठ्यकम में नामांकन हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क, मासिक अध्ययन शुल्क,वार्षिक शुल्क तथा पुस्तक, पाठय सामग्री, पोशाक, आवागमन का खर्च आदि का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार विद्यालय द्वारा सभी प्रकार का शुल्क का ब्यौरा विगत एवं वर्तमान वर्ष का ब्यौरा विद्यालय सूचना पट्, एवं विद्यालय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा। विद्यालय द्वारा अपना वेबसाईट का निर्माण कर लिया जाएगा।

(10) नियम– पूर्व शैक्षणिक वर्ष की तुलना में विद्यालय द्वारा सभी प्रकार के शुल्क में अधिकतम 07 सात प्रतिशत तक की वृद्धि हीं अनुमान्य होगा। इससे अधिक के विचारण हेतु शुल्क विनियमन समिति के समक्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंम्भ होने के छः माह पूर्व उपस्थापित करना होगा।

(11) विद्यालय में कक्षावार पुस्तको की सूची, ड्रेस की विशिष्टियाँ एवं अन्य आपेक्षित सामग्री की सूची विद्यालय द्वारा बेव साईट एवं सूचना पट् पर प्रदर्शित किया जाएगा। ताकि अभिभावक सुविधा अनुसार कहीं से भी क्रय कर सकें विद्यालय से अथवा स्थान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नहीं रखी जाएगी अन्यथा विद्यालय प्रबंधन दण्ड के भागी होंगें।

विद्यालय सुरक्षा–संरक्षा

(12) विद्यालय में बालक/बालिका शौचालय अलग–अलग हो एवं विशेषकर बालिका शौचालय की देखभाल करने वाली महिला कर्मी एवं आवश्यकतानुसार विद्यालय परिसर में जगह–जगह पर सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाने का कार्य ससमय पुरा कर लिया जाएगा।

(14) विद्यालय के सभी कर्मियों का सत्यापन संबंधित थाना से/बालिकाओं की संख्या के अनुपातिक महिला शिक्षिका का होना आवश्यक है जिसे पुरा कर लिया जाएगा।

(16) विद्यालय अन्तर्गत अपना या भाडे अथवा किसी अन्य माध्यम से संचालित सभी तरह के वाहनों का फिटनेस तथा वाहन कर्मी का सत्यापन करा लिया जाएगा।

उपरोक्त विवरणों के अनुपालन हेतु अपना हस्ताक्षर बनाया ताकि समय पर काम आवे।

वास्ते

7/11/19

हस्ताक्षर विद्यालय निदेशक/प्रबंधक/प्राचार्य व मोहर

हस्ताक्षरी का नाम– KUNWAR VISHAL SINGH

पदनाम– PRINCIPAL

Principal
Maa Maitrayini Yogini Secondary School
Gundi, Bhojpur (Ara) Bihar

प्रबंधक
मॉं मैत्रायिणी योगिनी सेकेण्डरी स्कूल
गुण्डी, भोजपुर (आरा) बिहार

Principal
Maa Maitrayini Yogini Secondary School
Gundi, Bhojpur (Ara) Bihar